

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनांक: निर्णय दिनांक: अधि:
20/02/19 26/06/20 1 वर्ष, 4 माह, 6 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या- ७४/२०१९

बल्ली अहिरवार उर्फ अरविन्द पुत्र मोती लाल उम्र २८ वर्ष निवासी मुन्ना होटल के पास ग्राम हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झाँसी।

-----याची

प्रति

१. राज कुमार पुत्र चन्द्रमोहन निवासी ओरछा गेट बाहर कसाई मण्डी की मस्जिद के पास थाना कोतवाली, झाँसी, उ.प्र.

(चालक गाड़ी नं. यू.पी. ९३ बी.टी. ०३८९)

२. यासमिन पुत्री नासिर बक्श निवासी ए २०जे.डी.ए.कालोनी तालपुरा थाना नवाबाद, झाँसी

(स्वामी ऑटो रिक्सा नं. यू.पी. ९३ बी.टी. ०३८९)

३. प्रबन्धक बीमा कम्पनी श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. ई ८ ई पी. आई. पी. सीतापुर इण्डस्ट्रियल एरिया जयपुर (राजस्थान)

(बीमाकर्ता ऑटो रिक्सा नं. यू.पी. ९३ बी.टी. ०३८९ पोलिसी नं.

१०८०५५/३१/१७/००१०३९)

-----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता श्री अमित कुमार शर्मा

विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता अधिवक्ता श्री एजाज खान

विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव

०१.०७.२०२०

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

३७बी सुलहनामा पर विगत नियत तिथि पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याची व विपक्षी सं. ३ श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. के मध्य हुआ सुलहनामा ३७बी पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। राजीनामा ३७बी दिनांक- २३.०६.२०२० को उभय पक्ष की उपस्थिति में तसदीक किया गया है। उभय पक्ष को राजीनामा सुनाया एवं समझाया गया। उक्त राजीनामा की शर्तों के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ २५,०००/- याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी, जिसे याची लेने हेतु सहमत है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३७बी की पुष्टि की गयी है। अतः याचिका सुलहनामा ३७बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा ३७ बी की शर्तों के अनुसार निर्णीत की जाती है। विपक्षी सं. ३ श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर की धनराशि मुबलिग ₹ २५,०००/- (पच्चीस हजार) ३० दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में जमा करें। उक्त प्रतिकर की धनराशि ₹ २५,०००/- (पच्चीस हजार) जमा होने पर याची बल्ली अहिरवार उर्फ अरविन्द जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त करेगा। सुलहनामा ३७बी इस आदेश का भाग रहेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।